

19.9.19

पभावली पेशा। वकील वादी उपस्थित
है वहल विधान अधिवक्ता वादी सुनी
गई।

पभावली का सत्यक अवलोकन किया
गया। वादी द्वारा वादपत्र में अंकित तथ्य
वामिदत अनुलोष, अप्रार्थी/प्रतिवादी के प्रभाव
एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यादि पर मनन
किया गया।

साक्ष्य में वादी द्वारा स्वयं के शपथ-
पत्र के साथ प्रदर्श-1 से प्रदर्श-5 प्रस्तुत किए
हैं।

इस प्रदर्श-1 वादगत 2 मि ग्राम रई (बेडा)
ख. नं. 708, 712, 713 पर है साबाई पत्नी उदा
गायत्रीबाई पुत्री उदा, दुलारीबाई पुत्री उदा
देवलाल पुत्र उदालाल, नाराण पुत्र उदा
बुजराज पुत्र उदा व बुजराज पुत्र उदालाल
नाम दर्ज हैं।

19/9/19

तारीख
को
नामी
हुए

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>हृदय-3 केसाबाई पत्नी उदा, गायत्री कुमी उदा, तुलारीबाई कुमी उदा, देवलाल पुत्र उदा, वृजराज पुत्र उदा, व रामनाथराव पुत्र उदा के नाम अन्य सहकारितायन के साथ दर्ज है।</p> <p>हृदय-2 ग्राम हाकिया श्री इमि ख. नं. 735, 736 पर केसाबाई पत्नी उदा, गायत्री कुमी उदा, तुलारीबाई कुमी उदा, देवलाल पुत्र उदा, वृजराज पुत्र उदा, रामनाथराव पुत्र उदा, का नाम दर्ज है।</p> <p>हृदय-4 में ग्राम राईखेड़ा श्री इमि ख. नं. 703 पर वादी का नाम नारायणलाल पुत्र उदयलाल अन्य सहकारितायन के साथ म दर्ज है। वादी का कथन है, कि वादी का यही नाम सही है। इस तथ्य के समर्थन में आधार कार्ड नम्बर 2155 9970 6003 की प्रतिलिपि व पैन कार्ड नम्बर ALJPM-5306A की प्रतिलिपि प्रस्तुत की है।</p> <p>हृदय-5 में भी ग्राम राईखेड़ा श्री इमि ख. नं. 701, 702 पर अन्य सहकारितायन के साथ वादी उक्त इमि पर अपना नाम सही होना स्वीकार करता है।</p> <p>वादागत इमि पर दर्ज वादी एवं उसके परिजन/अन्य सहकारितायन के जो नाम दर्ज है, उनका अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है, कि वादी व उसके भाई बहिनों श्री जलियल कली पर उदा, कली पर उदालाल ली कली पर उदयलाल दर्ज है। वादी का एक स्थान पर नाम नारायण, एक स्थान पर नारायण एक स्थान पर रामनाथराव व एक स्थान पर नारायणलाल अंकित है।</p>	

जज

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी है
	<p> वारी द्वारा प्रस्तुत सारुम से यह प्रमाणित होता है, कि वारी का सही नाम नारायणलाल तथा वल्लभत उदयलाल है। वारी द्वारा अपने वादपत्र को बाम्य से प्रमाणित किया है किन्तु वारी के पीछनों की वल्लभत आदि भी बाले में अतिपूर्व दर्ज है, जिसे भी न्यायमहल में उक्त किया जाना उचित है। अतः दवा वारी लीकाट किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि ग्राम राईवेड, श्री श्रीम स्व. नं. 708, 712, 713 पर वारी का नाम नारायणलाल के स्थान पर नारायणलाल व वल्लीयत उदयलाल दर्ज करते हुए खाले में उडा / उडालाल के स्थान पर उदयलाल अंकित किया जावे। इसी प्रकार ग्राम हाकिया श्री श्रीम स्व. नं. 153 पर खालेदारी के अशुद्ध अंकन को निम्न प्रकार शुद्ध किया जावे। कैलाबाई, गायत्री, दुलारीबाई, देवलाल शंजराज व वारी श्री वल्लभत उदयलाल अंकित श्री जावे। वारी का नाम रामनारायण के स्थान पर नारायणलाल अंकित किया जावे। उपलानुसार ही ग्राम हाकिया श्री श्रीम स्व. नं. 735 व 736 पर अंकन किया जावे। रिफाई में अमन रामद ही लडनुषाट जिमी मुलिय है। निर्णय आज दि. 11.9.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सारे इपनास सुनाया। </p>	

19/9/19
 उपखण्ड अधिकारी
 रामगंजमण्डी

तारीख
को भर
तामीन
हिए

Jud/Civil
Part IV-10

अंतिम डिकरी व मुकद्दमे

(शॉर्डर 20, रूल 6-7, प्रास्ता दोवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदागत उपलवड अधिकारी मुकाम रामगंजमण्डी

व इजलास चिमनलाल मीठा (R.A.S.)

नालयवा लाल बनात साकार

दावा न.बत 88-89-188-R.T.Act-1955

मुकद्दमा नं. 08 सन् 2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-व-रू चिमनलाल मीठा (R.A.S.)

वदाजरी श्री धनश्याम धाकड़ एड. -मिनजानिव मुद्दई व-

मिनजानिव मुद्दायलाह पेश होकर, प्रथम दिग्ग जाता है व डिकरी दी जाती है कि दावा वादी स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाते हैं कि ग्राम राइवेडा श्री श्रीमि ख. नं. 708, 712, 713 पर वादी का नाम नाराठ के स्थान पर नालयवा लाल व वल्लभ उदयलाल रजि करत दुय खार्त में उदा/उदालाल के स्थान पर उदयलाल अंकित किया जावे। इसी प्रकार ग्राम हाकिया श्री श्रीमि ख. नं. 153 पर खालेदारी के अमुड अंकन का निरु प्रकार सुड किया जावे। (पुस्तक पर अंकन)

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सुद व घरह 4 फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख वमूलशायी तक 4 को अदा करें।

बसन्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के अज तारीख 19 माह 09 2019

को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
ओहदा उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

मुद्दई	रुपया	पं.	मुद्दायलाह	रुपया	पं.
स्टाम्प अर्जीदावा	..		स्टाम्प वकालतनामा	..	
स्टाम्प वकालतनामा	..		स्टाम्प अर्जी	..	
स्टाम्प मजह सबूत	..		महनताना वकील पर	..	
महनताना वकील	..		खर्चा गवाहान	..	
खर्चा गवाहान	..		फीस कमिश्नर	..	
फीस कमिश्नर	..		बाबत इजराय हुक्मनामा	..	
बाबत इजराय हुक्मनामा	..		मुतफरिफ	..	
मुतफरिफ	..				
मीजान ..			मीजान ..		

नोट:—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फीसदी का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

रा. मु. नं. -40-2004-1,00,000 प्र.

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

→ गैलबार्ड, गायत्री कुलारीबार्ड, देवलाल बृजराज व वादी की
वस्तिगत उदयलाल अंकित की जावे। वादी का नाम रामनाथरा
रु स्थान पर नाथरालाल अंकित किया जावे। उस्ताउला
ही ग्राम दफ्तिया की इमि खबमं 735, व 736 पर अंकन
किया जावे। रिफार्ड में अमल लागू हो।

उपखण्ड अधिकारी
रावगंजमन्डी